सूचना का अधिकार अधिनियम –2005

अध्याय–2 की धारा –4 (1) ब के अन्तर्गत

(मैनुअल संख्या– 5)

भाग – 2

उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड,

जिला पंचायत परिसर, धारानौला, अल्मोड़ा

अनुक्रमणिका (INDEX)

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

क्र.सं	मैनुअल संख्या	मैनुअल का विवरण	पृष्ठ संख्या
1	मैनुअल–5 (भाग–2)	लोक प्राधिकारी अथवा उसके कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश निर्देशिका और अभिलेखों की सूचना	
2	मैनुअल–5 (भाग–2)	उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड का स्टेटस पेपर एवं विभिन्न शासनादेशों का विवरण	

उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड,

जिला पंचायत परिसर, धारानौला, अल्मोड़ा

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

मैनुअल – 5

लोक प्राधिकारी अथवा उसके कार्मिकों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश निर्देशिका और अभिलेखों की सूचना

(The rules, regulation, Instructions, Manul and records held by it or under its control or used by it employees for discharging its functions)

उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड,

जिला पंचायत परिसर, धारानौला, अल्मोड़ा

उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड के

लोक प्राधिकारी अथवा उसके कार्मिकों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश निर्देशिका और अभिलेखों की सूचनाः–

(The rules, regulation, Instructions, Manul and records held by it or under its control or used by it employees for discharging its functions)

उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड की विनियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड (अधिकारी/कर्मचारी अधिष्ठान) सेवा विनियमावली–2016 है। यह विनियमावली उत्तराखण्ड के सम्पूर्ण क्षेत्रों में जहाँ उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड की इकाई/अनुभाग/विभाग स्थापित होंगे या किये जायेंगे पर लागू होगी।

उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड (समूह क, ख, ग, अधिकारी/कर्मचारी अधिष्ठान) सेवा में बोर्ड के समस्त समूह (क, ख, ग, घ) पर समाविष्ट हैं। **उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड (अधिकारी/कर्मचारी अधिष्ठान) सेवा विनियमावली–2016 व संशोधन विनियमावली–2018 संलग्न है।**

अभिलेख का नाम	:	**अभिलेख का प्रकार – अभिलेख**
1– विभागाध्यक्ष स्तर के कार्यालय में अनुरक्षित रखे जाने वाले अभिलेख		उपस्थिति पंजिका, भ्रमण पंजिका, टी0 ए0 बिल पंजिका, चैक बुक पंजिका, कैश बुक, कैश रसीद बुक, स्टाक रजिस्ट्रर, बिल बुक, लेजर ट्रेजरी गार्ड, ई0पी0एफ0 लेजर एवं पंजिका, शासकीय टिकट/फार्म–16 पंजिका, व्यक्तिगत सेवा पुस्तिका, कर्मचारियों का विवरण पंजिका, वाहन लॉग बुक, चालान गार्डफाईल, शासन स्तर के पत्रों का निस्तारण पंजिका, बकाया पंजिका, बजट आवंटन पंजिका, व्यय विवरण पंजिका, चाय बिक्री पंजिका, भौतिक प्रगति पंजिका, वित्तीय प्रगति पंजिका, निरीक्षण पंजिका, आगन्तुक पंजिका, इन्वैन्ट्री पंजिका एवं शिकायत पंजिका आदि।

2– चाय बागान के अन्तर्गत स्थापित इकाई में अनुरक्षित, रखे जाने वाले अभिलेख	उपस्थिति पंजिका, भ्रमण पंजिका, टी0ए0 बिल पंजिका, आ0 अवकाश पंजिका, भुगतान पंजिका कैश बुक, कैश रसीद बुक, स्टाक रजिस्ट्रर, बिल बुक, लेजर (डी–11, डी–52, डी–42) डाक प्रेषण व प्राप्ति पंजिका, शासकीय टिकट पंजिका, निरीक्षण पंजिका, प्रदर्शन पंजिका, बकाया पंजिका, अग्रिम जमा पंजिका, अस्थाई निर्गमन पंजिका, राजस्व पंजिका, चालान गार्ड फाईल पंजिका, आगन्तुक पंजिका, दैनिक कार्य पंजिका, शिकायत पंजिका एवं निरीक्षण पंजिका आदि। उपरोक्त के अतिरिक्त चाय पौधालयों में उत्पादन कार्य पंजिका, सेल पंजिका, जमाव पंजिका, पौंध विवरण पंजिका, चक्षु आगणन पंजिका, इन्वेन्ट्री पंजिका, कार्य प्रतिभाजन पंजिका (एलोकेशन बुक)।
3– अभिलेख का संक्षिप्त परिचय	उपरोक्त समस्त अभिलेख विभागाध्यक्ष/कार्यालाध्यक्ष स्तर से कार्यालय में अनुरक्षित/सुरक्षित रखे जाते हैं।
4– नियम विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति प्राप्त करने हेतु पता	निदेशक, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड, जिला पंचायत परिसर, धारानौला, अल्मोड़ा। दूरभाषः 05962–237746 ई–मेलः **uttarakhandtea@rediffmail.com** वैब साईटः **www.utdb.uk.gov.in**
5– नियम विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो)	रू. 2.00 प्रति पृष्ठ रू. 50.00 प्रति सी.डी./फ्लापी

6– उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड के अन्तर्गत स्थानान्तरण नीति और स्थानान्तरण आदेश हेतु उत्तराखण्ड शासन की स्थानान्तरण नीति में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चत किया जाता है।

संख्याः 96 /XVI-2/16/20(05)/2015

प्रेषक,

डा0 रणबीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव
एवं कृषि उत्पादन आयुक्त
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड
अल्मोड़ा।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग–2 देहरादून, दिनांकः 05 अक्टूबर,2016

विषयः–उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड (समूह 'क' 'ख' 'ग' 'घ' अधिकारी/कर्मचारी अधिष्ठान) सेवा विनियमावली–2016 का प्रख्यापन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–197/2–स्था0/15, दिनांकः 22 जून, 2015 एवं तद्विषयक पत्र संख्याः 926/स्था0–दो (68)/सेवा नियमावली/2015–16, दिनांकः 19 जनवरी, 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड (समूह 'क' 'ख' 'ग' 'घ' अधिकारी/कर्मचारी अधिष्ठान) सेवा विनियमावली–2016 हिन्दी एवं अंग्रेजी आलेख्य पर स्वीकृति प्रदान करते हुए संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

5/10/2016

(डा0 रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव
एवं कृषि उत्पादन आयुक्त

संख्याः /XVI-2/16/20(05)/2015,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव–मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव–मा0 उद्यान मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव–अपर मुख्य सचिव, उद्यान, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, सार्वजनिक उद्यम/औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(टीकम सिंह पंवार)
अपर सचिव

सोसाईटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 (सन् 1980 का ऐक्ट सं0 21) के अधीन अधिसूचना संख्या 159/व0ग्रा0वि0/उद्यान/338/2003 दिनांक 11 फरवरी, 2004 द्वारा गठित उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड, की नियमावली 2004 के प्रस्तर–43 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड, (समूह 'क' 'ख' 'ग' एवं 'घ') सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित विनियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड (समूह 'क' 'ख' 'ग' 'घ' अधिकारी/कर्मचारी अधिष्ठान) सेवा विनियमावली, 2016

भाग–एक

सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस विनियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड (अधिकारी/कर्मचारी अधिष्ठान) सेवा विनियमावली 2016 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(3) यह विनियमावली उत्तराखण्ड के सम्पूर्ण क्षेत्रों में जहाँ उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड की इकाई/अनुभाग/विभाग स्थापित होंगे या किये जायेंगे, पर लागू होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड (समूह 'क' 'ख' 'ग' अधिकारी/कर्मचारी अधिष्ठान) सेवा में बोर्ड के समस्त समूह ("क" "ख" "ग" "घ") पद समाविष्ट हैं।

परिभाषाएं

3. (1) जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस विनियमावली में :–

(क) "अधिनियम" से सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 से अभिप्रेत है।

(ख) "प्रबन्ध परिषद" से उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–159/व0ग्रा0वि0/उद्यान/338/2003 दिनांक 11 फरवरी, 2004 द्वारा स्थापित एवं शासनादेश संख्या–392/XVI–2/15/01(17)2003 सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन दिनांक 12 मार्च, 2004 नियमावली के नियम–19 के अनुकूल गठित उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड अभिप्रेत है।

(ग) "नियुक्ति प्राधिकारी"से निदेशक एवं वर्ग "क""ख" के संबंध में प्रबन्ध परिषद, वर्ग "ग" के संबंध में निदेशक एवं "घ" के संबंध में निदेशक द्वारा प्रतिनिहित अधिकारी/पदधारक अभिप्रेत है।

(घ) "अध्यक्ष" से बोर्ड एवं प्रबन्ध परिषद के अध्यक्ष अभिप्रेत है।

(ड़) "निदेशक" से बोर्ड के निदेशक चाय विकास बोर्ड अभिप्रेत है।

(च) "परिषद" उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड अभिप्रेत है।

(छ) "सरकार" से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है।

(ज) "भारत का नागरिक" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जो संविधान के भाग–दो के अधीन भारत का नागरिक हो।

(झ) "संविधान" से भारत का संविधान से है।

(ञ) "सेवा" से उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड (समूह 'क' 'ख' 'ग' 'घ' अधिकारी / कर्मचारी अधिष्ठान) सेवा अभिप्रेत है।

(ट) "वर्ग" से विनियम–5 में निर्दिष्ट पदों (समूह "क" "ख" "ग" "घ") के वर्ग अभिप्रेत है।

(ठ) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है,जो तदर्थ नियुक्ति न हो और सेवा नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो।

(ड़) "भर्ती का वर्ष" से किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

(ढ) "सेवा का सदस्य" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस विनियमावली या इस विनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त विनियमों या आदेशों के अधीन स्थायी/मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है।

(2) ऐसे शब्दों और पदों के, जो इस विनियमावली में परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए क्रमशः दिये गये हैं।

भाग–दो
संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) बोर्ड की सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक वर्ग के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी बोर्ड के पारित प्रस्ताव एवं शासन के पूर्वानुमोदन द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाए।

(2) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक कि उसमें उप विनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, उतनी होगी जितनी परिशिष्ट "क" के स्तम्भ–3 में दी गयी है:

परन्तु यह कि–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को विना भरे हुए छोड़ सकता है अथवा बोर्ड उसे प्रास्थगित कर सकेंगें, कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा, या

(दो) बोर्ड, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, ऐसे स्थायी अथवा अस्थायी पदों का सृजन कर सकता है, जिन्हें वह उचित समझे।

भाग–तीन

भर्ती

भर्ती का स्रोत 5. सेवा में विभिन्न वर्ग के पदों पर नियुक्ति भाग–8 अन्य उपबन्ध के परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ–2 के प्रत्येक पद के सम्मुख इंगित स्तम्भ–6 में उल्लिखित स्रोतों के अनुसार की जायेगी।

आरक्षण 6. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग,पिछड़ा वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग–चार

अर्हतायें

राष्ट्रीयता 7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो।

(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, होना चाहिए, या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, लंका तथा केनिया, युगाण्डा और संयुक्त तांजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रव्रजन किया हो———परन्तु, उक्त श्रेणी (ख) और (ग) से संबंधित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो। परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से संबंधित अभ्यर्थी के लिए भी उप पुलिस महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी [illegible] से संबंधित है तो पात्रता प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि [illegible]

जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर रोव में रखा जा सकेगा।

टिप्पणी– जिस अभ्यर्थी के मामलें में पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है। किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हतायें

8. सेवा में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ–2 में उल्लिखित पद के सम्मुख स्तम्भ–4 में इंगित न्यूनतम अहर्तायें होनी चाहिए।

अधिमानी अर्हतायें

9. अभ्यर्थी जिसने–

(1) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो, या

(2) नेशनल कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो, उसे अन्य बातें समान होते हुए भी सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।

(3) उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड इथा अन्य चाय उत्पाद राज्यों की प्रमाणित चाय विकास संस्थाओं से प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर, सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।

आयु

10. सेवा में विभिन्न वर्गों के पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार के अधीन पदों पर भर्ती के लिए निहित है।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाएं, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाए।

चरित्र

11. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह बोर्ड में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो, नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेंगे।

टिप्पणी– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति 12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो,

शारीरिक स्वस्थता 13. किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षता पूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद की परीक्षा उत्तीर्ण कर ले,

परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से चिकित्सा परीक्षा की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग – पाँच
भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण 14. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और विनियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों पिछड़े वर्ग और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। और तत्समय प्रवृत्त नियमों और शासन के आदेशों के अनुसार इसकी सूचना सेवायोजन कार्यालयों को देगा और कम से कम दो प्रमुख समाचार पत्रों में इसे विज्ञापित भी करायेगा।

सीधी भर्ती की प्रकिया 15. (1) चयन के लिए विचार करने हेतु बोर्ड/चयन समिति द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन मंगाये जायेंगे।

(2) नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का प्रतिशत सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वा

द्वारा अपेक्षित अर्हतायें पूरी करने वाले उतने अभ्यर्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जायेगी, परीक्षा में उर्त्तीण अभ्यर्थियों की मैरिट की सूची तैयार कर नियमानुसार नियुक्ति की जायेगी।

(3) बोर्ड/गठित चयन समिति प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों द्वारा प्रकटित प्रवीणता के कम में सूची बनायेगा। यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थी बराबर अंक प्राप्त करते हैं तो बोर्ड, द्वारा उनके नाम सेवा के लिये उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर उनके गुणानुकम के आधार पर कमांकित किये जायेंगे। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होगी। बोर्ड सूची नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगा।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया

16. (1) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से बोर्ड द्वारा गठित निम्नवत चयन समिति परिशिष्ट "क" के अनुसार वर्ग "क" और "ख" की भर्ती, गुणानुक्रम/श्रेष्ठता एवं ज्येठता के आधार पर, अनुपयुक्त को छोड़कर पदोन्नति करेगी, अर्थात–

(एक)	प्रमुख सचिव/सचिव उद्यान	अध्यक्ष
(दो)	निदेशक चाय विकास बोर्ड	सदस्य
(तीन)	शासन द्वारा नामित समूह "क" वक्ष अधिकारी	सदस्य
(चार)	बोर्ड द्वारा नामित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति वर्ग से	सदस्य

(2) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से बोर्ड द्वारा गठित निम्नवत चयन समिति परिशिष्ट "क" के अनुसार वर्ग "ग" हेतु भर्ती, गुणानुक्रम/ज्येठता के आधार पर, अनुपयुक्त को छोड़कर पदोन्नति करेगी, अर्थात–

(एक)	निदेशक चाय विकास बोर्ड	अध्यक्ष
(दो)	बोर्ड द्वारा नामित समूह "क" का अधिकारी	सदस्य
(तीन)	नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट एक तकनीकी अधिकारी जो उप निदेशक अधिकारी की श्रेणी से निम्न न हो	सदस्य
(चार)	बोर्ड द्वारा नामित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति वर्ग से	सदस्य

परन्तु यह कि यदि चयन समिति में कोई पिछड़े वर्ग का कोई सदस्य न हो तो पिछड़े वर्ग के एक अधिकारी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन समिति के एक अतिरिक्त सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) नियुक्त प्राधिकारी, द्वारा गुणाक्रम के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी और चरित्र पंजिका तथा उनसे सम्बन्धित अन्य ऐसे अभिलेखों के साथ चयन समिति के समक्ष रखी जायेगी, जो समिति समझे जाये।

(4) चयन समिति द्वारा उप विनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामले पर विचार किया जायेगा और यदि वह आवश्यक समझे तो उनके द्वारा अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया जायेगा।

(5) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता के आधार पर सूची तैयार कर उसे नियुक्त प्राधिकारी को प्रेषित करेगी।

संयुक्त चयन सूची 17. यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों के द्वारा की जाती हैं तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूची से इस रूप से इस प्रकार लिए जायेंगे कि विहित प्रतिशत (सीधी भर्ती+ पदोन्नति का) बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नत द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग–छः

नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति 18. (1) उपनियम (2) के अधीन रहते हुये, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे, यथास्थिति, नियम 15, 16 या 17 के अधीन तैयार की गई सूची में आये हों, नियुक्तियाँ करेगा।

(2) जहाँ भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों के द्वारा की जानी हो, वहाँ नियमित नियुक्तियाँ तब तक नहीं की जायेंगी जब तक दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाये और नियम 17 के अनुसार संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाये।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा, जैसी

यथास्थिति चयन में अवधारित की जाय या जैसी कि उस संवर्ग में हो, जिसमें उन्हें पदोन्नत किया जाये। यदि नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाये तो भाग नियम 17 में निर्दिष्ट चक्रानुक्रम में रखे जायेंगे।

परिवीक्षा

19. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब तक अवधि बढ़ाई जाये;

परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जाये, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थाई रूप में की गई निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण

20. (1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, किसी परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थाई कर दिया जायेगा, यदि–

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाये,

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाये; और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय की वह स्थाई किये जाने के लिये, अन्यथा उपयुक्त है।

(2) समय–समय पर लागू नियमावली अथवा प्रबन्ध परिषद की संस्तुति पर राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन पर यथा संशोधित नियमों के उपबन्धों के अनुसार, स्थाईकरण आवश्यक नहीं है, वहाँ उस विनियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुये पारित आदेश, कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली है, स्थाईकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता

21. किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता, समय–समय पर लागू नियमावली अथवा प्रबन्ध परिषद की संस्तुति पर राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से जारी की जायेगी।

भाग–7

वेतन इत्यादि

वेतनमान

22. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर, चाहे मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों को अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा बोर्ड द्वारा राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से समय–समय पर अवधारित किया जाए।

(2) इस विनियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ–2 में उल्लिखित पद को स्तम्भ–5 में प्रत्येक पद के सम्मुख अंकित किये गये हैं।

परिवीक्षा अवधि में वेतन

23. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुये भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थाई सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थाई भी कर दिया गया हो;

परन्तु यह कि यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाये तो उस बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये तब तक नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से बोर्ड के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत मूल नियमों विनियमित होगा,

परन्तु यह कि यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परि अवधि बढ़ाई जाय तो बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये की जायेगी।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से मौलिक रूप से बोर्ड की स्थाई सेवा में का परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्य–कलाप के सम्बन्ध में सेव सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होग

भाग–आठ
अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन 24. किसी पद या सेवा के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारि से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विच नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से, अपनी अभ्यर्थिता के लि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने के प्रयास का प्रमाण उ नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन 25. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस विनियमावली या विशे आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति, राज्य व कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लाग नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

व्यावृति 26. इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिसका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

अनुमोदित
आज्ञा से,

(डा0 रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव
एवं कृषि उत्पादन आयुक्त

परिशिष्ट "क"

क्र. सं.	पदनाम	पदों की संख्या	अर्हतायें	वेतनमान + ग्रेड वेतन	भर्ती का स्रोत
1	2	3	4	5	6
1.	निदेशक	01	—	37500–67000+7600	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के समकक्ष वेतनमान / ग्रेड वेतन में कार्यरत अधिकारी की शासन द्वारा तैनाती।
2.	वित्त अधिकारी	01	लेखाकार के पद पर कम से कम 05 वर्ष का अनुभव।	15600–39100+5400	विभागीय पदोन्नति।
3.	लेखाकार	01	कनिष्ठ लेखा सहायक में कम से कम 05 वर्ष का अनुभव।	9300–34800+4200	विभागीय पदोन्नति।
4.	कनिष्ठ लेखा सहायक	01	वाणिज्य विषयों के साथ इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण। 2–कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति होनी आवश्यक है। 3–अंग्रेजी टंकण एवं कम्प्यूटर का अनिवार्य ज्ञान।	5200–20200+2000	सीधी भर्ती से।
5.	स्टोर प्रभारी	01	वरिष्ठ सहायक के पद पर 05 वर्ष का कार्यानुभव।	9300–34800+4200	विभागीय पदोन्नति।
6.	वरिष्ठ सहायक	01	ऐसे कनिष्ठ सहायकों में से जिन्होनें भर्ती के वर्ष	5200–20200+2800	विभागीय पदोन्नति।

			के प्रथम दिवस को इस रूप में 5 साल की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।		
7.	कनिष्ठ सहायक / कम्प्यूटर सहायक	02	1–इण्टरमीडिएट। 2–कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति होनी आवश्यक है। 3–अंग्रेजी टंकण एवं कम्प्यूटर का ज्ञान अनिवार्य होगा।	5200–20200+2000	सीधी भर्ती से।
8.	वैयक्तिक सहायक	01	1–इण्टरमीडिएट परीक्षा उर्त्तीण। 2–कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति होनी आवश्यक है। 3–अंग्रेजी टंकण एवं कम्प्यूटर का ज्ञान अनिवार्य। 4– मान्यता प्राप्त संस्था से आशुलिपिक का प्रमाण पत्र।	9300–34800+4200	सीधी भर्ती के द्वार
9.	विपणन प्रबन्धक	01	सहायक प्रबन्धक, विपणन में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव।	15600–39100+5400	विभागीय पदोन्न

10.	बागान प्रबंधक	01	सहायक प्रबन्धक, बागान में कम से कम 10 बर्ष का अनुभव।	15600–39100+5400	विभागीय पदोन्नति से।
11.	सहायक प्रबन्धक विपणन	02	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। ' 2– अधिमानी अर्हता एम0बी0ए0	9300–34800+4600	सीधी भर्ती से।
12.	सहायक प्रबन्धक बागान	03	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। 2– अधिमानी अर्हता एम0बी0ए0	9300–34800+4600	सीधी भर्ती से।
13.	फील्ड सहायक/ चाय विकास अधिकारी	06	बागान पर्यवेक्षक के पद पर कम से कम 05 बर्ष का अनुभव।	5200–20200+2800	विभागीय पदोन्नति से।
14.	बागान पर्यवेक्षक	15	इण्टरमीडिएट उर्तीण।	5200–20200+2000	विभागीय पदोन्नति से अधिकतम 25 प्रतिशत एवं शेष सीधी भर्ती से। 2–राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली 2004 के अनुसार पदोन्नति की जायेगी। पदोन्नति की प्रकिया पूर्ण होने पर शेष रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जायेंगी।
15.	बागान परिचालक	05	कक्षा 8 उर्तीण। 2. बोर्ड के अन्तर्गत पूर्व से कार्यरत दैनिक वेतन/ संविदा में फील्ड स्तर के 05 वर्ष का कार्य अनुभव रखने वाले को वरीयता।	5200–20200+1800	सीधी भर्ती के द्वारा।

(15)

	मृदा वैज्ञानिक	01	प्रयोगशाला पर्यवेक्षक में 10 वर्ष के अनुभव के साथ–साथ मृदा विश्लेषण कार्य में 10 वर्ष का कार्यानुभव रखने वाले को वरीयता।	15600–39100+5400	विभागीय पदोन्नति से।
17.	प्रयोगशाला पर्यवेक्षक	01	बोर्ड के अन्तर्गत 05 वर्ष का कार्यानुभव रखने वाले को वरीयता।	5200–20200+2000	विभागीय पदोन्नति से।
18.	प्रयोगशाला सहायक	01	विज्ञान विषय में इण्टरमीडिएट उर्तीण।	5200–20200+1800	सीधी भर्ती से।
19.	चालक	02	1–कक्षा–8 उर्तीण। 2–ड्राइविंग लाईसेंस के साथ भारी तथा हल्के वाहन चलाने का कम से कम 05 वर्ष का अनुभव (अनिवार्य अर्हता)	5200–20200+2000	आउटसोंस से
20.	अनुसेवक, चौकीदार	02	कक्षा–8 उर्तीण।	5200–20200+1800	आउटसोंस से
	योग	49			

आज्ञा से,

5/12/2016

(डा0 रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव
एवं कृषि उत्पादन आयुक्त

(16)

संख्याः 491 /XVI-2/18/20(05)/2015

प्रेषक,

डा. मेहरबान सिंह बिष्ट,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड
अल्मोड़ा।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग–2 देहरादून, दिनांकः 01 मई, 2018

विषयः–"उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड अधिष्ठान सेवा विनियमावली–2016" का परिशिष्ट "क" में संशोधन विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या–630/स्था0दो–51(सेवानियमावली)/2017–18 दिनांकः 15 नवम्बर 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड की विनियमावली 2016 के परिशिष्ट "क" में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में है।

2– तत्कम में "उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड (समूह 'क' 'ख' 'ग' 'घ' अधिकारी/कर्मचारी अधिष्ठान) सेवा विनियमावली–2016" के प्रख्यापन से सम्बन्धित शासन के पत्र संख्या 96/XVI–2/16/20(05)/2015, दिनांक–05.10.2016 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–1424/XVI–2/17/01(36)/2004 दिनांकः 17.02.2017 द्वारा चाय विकास बोर्ड का ढाँचा पुनर्गठित होने के फलस्वरूप सृजित, 25 नये पदों को सम्मिलित करते हुए विनियमावली 2016 के परिशिष्ट "क" में संलग्न विवरणानुसार संशोधन कर पदों को समावेशित किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3– शासनादेश संख्या–96/ XVI–2/16/20(05)/2015, दिनांक–05 अक्टूबर 2016 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड (समूह "क" "ख" "ग" "घ" अधिकारी/कर्मचारी अधिष्ठान) सेवा विनियमावली 2016" का परिशिष्ट "क" उक्तवत प्रतिस्थापित सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा शेष यथावत् रहेगा।

संलग्नक यथापरि।

भवदीय,

(डा. मेहरबान सिंह बिष्ट)
अपर सचिव।

परिशिष्ट "क"

क्र. सं.	पदनाम	वेतनमान / ग्रेड वेतन (रूपये)	पदों का विवरण		भर्ती का स्रोत / अर्हतायें
			पूर्व से सृजित	नव सृजित	
1	उप निदेशक	15600–39100 +6600	–	01	भर्ती का स्रोतः– चयन समिति के माध्यम से विभागीय पदोन्नति। अर्हतायेंः– बोर्ड के अन्तर्गत वर्ग "ख" के पद पर कम से कम 05 वर्ष का कार्यानुभव।
2	सहायक लेखाकार	5200–20200 +2800	01 (पूर्व में 01 पद कनिष्ठ लेखा लिपिक वेतनमान ₹5200–20200 के नाम से सृजित)	01	भर्ती का स्रोतः– / सीधी भर्ती / विभागीय पदोन्नति से सीधी भर्ती हेतु अधिमानी अर्हतायेंः– 1– किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय में (बी.कॉम) स्नातक। 2– किसी प्रतिष्ठित संस्थान में लेखा सम्बन्धी कार्य का कम से कम 05 वर्ष का अनुभव तथा हिन्दी, अंग्रेजी टंकण का अनिवार्य ज्ञान।
3	सहायक प्रबन्धक, बागान	9300–34800 +4600	02 (सहायक प्रबन्धक पद नाम से पूर्व सृजित)	03 (01 पद सहायक प्रबन्धक, विपणन एवं 01 पद सहायक प्रबन्धक फैक्ट्री तथा 01 पद सहायक प्रबन्धक बागान हेतु)	भर्ती का स्रोतः– 50 प्रतिशत सीधी भर्ती से एवं 50 प्रतिशत विभागीय पदोन्नति से। विभागीय पदोन्नति हेतु अधिमानी अर्हताः– 1–फील्ड सहायक के पद पर कम से कम 05 वर्ष का कार्यानुभव। 2–न्यूनतम शैक्षिक योग्यता– स्नातक। सीधी भर्ती हेतु अधिमानी अर्हताः– (क) सहायक प्रबन्धक विपणन– किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से स्नातक तथा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से

					विपणन में एम.बी.ए। 2–विपणन के क्षेत्र में कम से कम 03 वर्ष का अनुभव। **(ख) सहायक प्रबन्धक, फैक्ट्री**:– किसी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से मैकेनिकल में स्नातक। 2–किसी प्रतिष्ठित संस्थान में आर्थोडोक्स चाय तैयार करने का कम से कम 03 वर्ष का कार्यानुभव **(ग) सहायक प्रबन्धक, बागान** :– किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एस.सी (कृषि, वानिकी या वनस्पति विज्ञान) 2– एग्रीबिजनेस, मैनेजमैन्ट अथवा प्लान्टेशन मैनेजमैन्ट में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पोस्ट ग्रेज्युट डिप्लोमा।
4	प्रबन्धक फैक्ट्री (टी मेकर)	15600–39100 +5400	–	01	भर्ती का स्रोत:– सीधी भर्ती / विभागीय पदोन्नति से। अर्हता:– किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीटेक मैकेनिकल। 2– चाय प्रसंस्करण एवं टी टैस्टिंग में डिप्लोमा को वरीयता दी जायेगी। 3– किसी प्रतिष्ठित संस्थान में टी मेकर के रूप में आर्थोडोक्स चाय निर्मित करने का कम से कम 5 वर्ष का अनिवार्य अनुभव। **पदोन्नति हेतु अधिमानी अर्हता**:– सहायक प्रबन्धक फैक्ट्री के पद पर कम से कम 05 वर्ष का कार्यानुभव।
5	बागान प्रबन्धक	15600–39100 +5400	04 (बागान प्रबन्धक के 04 पद स्वीकृत हैं, लेकिन पूर्व में स्वीकृत	–	भर्ती का स्रोत:– 50 प्रतिशत सीधी भर्ती से 50 प्रतिशत विभागीय पदोन्नति से। विभागीय पदोन्नति हेतु अर्हता:– सहायक प्रबन्धक, बागान के पद

			सेवानियमावली के परिशिष्ट में केवल 01 पद ही उल्लिखित है, जिस कारण बागान प्रबन्धक के 04 पद सेवा नियमावली के परिशिष्ट में समावेशित)		पर कम से कम 05 वर्ष कार्यानुभव। शैक्षिक योग्यता–स्नातक। बोर्ड में कार्यरत कार्मिकों हेतु सीधी भर्ती हेतु अर्हता:– 1– बोर्ड में नियुक्त सहा प्रबन्धकों हेतु शैक्षिक योग्यत स्नातक, चाय के क्षेत्र सहायक प्रबन्धक पद पर 10 का अनुभव। अन्य अभ्यर्थियों हेतु सीधी भ हेतु अधिमानी शैक्षिक योग्यता:- 1– किसी मान्यता प्रा विश्वविद्यालय से एम.एस.र (कृषि, वानिकी या वनस्पत विज्ञान) अथवा किसी मान्यत प्राप्त संस्थान से एग्रीबिजनेस मैनेजमैन्ट/प्लान्टेशन मैनेजमैन्ट में पोस्ट ग्रेज्युट। 2–चाय के क्षेत्र में सहायक प्रबन्धक के रूप में चाय प्लान्टेशन, नर्सरी आदि का कम से कम 05 वर्ष के अनुभव को वरीयता।
6	फील्ड सहायक	5200–20200 +2800		04	भर्ती का स्रोत:– विभागीय पदोन्नति। अर्हता:– बागान पर्यवेक्षक के पद पर कम से कम 05 वर्ष का अनुभव।
7	मृदा वैज्ञानिक	15600–39100 +5400	01		भर्ती का स्रोत:–सीधी भर्ती से। अर्हता:– किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.एस.सी कृषि (मृदा विज्ञान/कृषि रसायन) अथवा एम.एस.सी रसायन विज्ञान। 2–किसी प्रतिष्ठित संस्थान में मृदा विश्लेषण का 05 वर्ष का अनुभव।
8	फैक्ट्री	5200–20200		02	भर्ती का स्रोत:– सीधी भर्ती।

	आपरेटर	+1900			अर्हता:– किसी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से मैकेनिकल ट्रैड में 02 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र। 2– किसी प्रतिष्ठित संस्थान की चाय फैक्ट्री में आपरेटर/ सहायक आपरेटर के रूप में कम से कम 02 वर्ष का अनुभव।
9	सहायक फैक्ट्री आपरेटर	–		02 (आउटसोर्स)	भर्ती का स्रोत–आउटसोर्स अर्हता:–किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा 08 उत्तीर्ण। 2–किसी प्रतिष्ठित संस्थान की चाय फैक्ट्रियों में सहायक आपरेटर के रूप में कम से कम 02 वर्ष का कार्य अनुभव रखने वाले को वरीयता।
10	सहायक पर्यवेक्षक/ सहायक सुपरवाईजर	–		08 (आउटसोर्स)	भर्ती का स्रोत:– आउटसोर्स। अर्हता:–किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा 8 परीक्षा उत्तीर्ण। 2–किसी प्रतिष्ठित संस्थान के चाय बागानों में कम से कम 03 वर्ष का अनुभव को वरीयता।
11	अनुसेवक/ चौकीदार	–		03 (आउटसोर्स)	भर्ती का स्रोत:– आउटसोर्स। अर्हता:– किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा 8 परीक्षा उत्तीर्ण।
योग				25	

(डा. मेहरबान सिंह तिह्ट)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड के

स्टेटस पेपर/शासनादेशों का संकलन

———————

———————

उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड,

जिला पंचायत परिसर, धारानौला, अल्मोड़ा

उत्तराखण्ड शासन
मंत्रिपरिषद अनुभाग
संख्या :- — /14/1/1/XXI/2026 सी0एक्स0
देहरादून : दिनांक03 अप्रैल, 2026

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा श्री मुकेश महरााना, जनपद–चम्पावत को "चाय विकास सलाहकार परिषद" में "उपाध्यक्ष" के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नामित किया जाता है।

2. उक्त महानुभाव को मंत्रिपरिषद विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–205/14/1/1/XXI/2022 दी0सी0 दिनांक 25 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित सुविधायें प्रदान की जायेगी जिसका व्यय भार संबंधित विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।

3. इसके अतिरिक्त उनके कर्तव्यों, दायित्वों, अधिकारों एवं सेवा अवधि के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग के द्वारा पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

(शैलेश बगोली)
सचिव।

संख्या :- 145 (1)/14/1/1/XXI/2026 सी0एक्स0 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव मा. मुख्यमंत्री को मा. मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. स्टाफ ऑफिसर मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव समस्त मा0 मंत्रिगण, उत्तराखण्ड।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
7. श्री मुकेश महरााना, ग्रा0 व पो0 बिरगुल, जनपद चम्पावत, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड।
11. प्रभारी, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(दिनेश सिंह बड़थ्वाल)
अनु सचिव।

(135)

संख्या 274/XIII-4/25/07(01)/2020 E-26418

प्रेषक,

महिमा रौंकली
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
चौबटिया–रानीखेत।

कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभागः–4 देहरादूनः दिनांकः 22 अप्रैल, 2025

विषयः–"राज्य में चाय विकास योजना" के लिए आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक चाय विकास बोर्ड के पत्र संख्याः 28/3–लेखा/बजट 2025–26/2025 दिनांक 08 अप्रैल 2025 एवं पत्र संख्या 29/3–लेखा/बजट 2025–26/2025 दिनांक 08 अप्रैल 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक में चाय विकास बोर्ड हेतु अनुदान संख्या 29 की योजना "राज्य में चाय विकास योजना" में प्राविधानित धनराशि को अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– तत्क्रम में वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः I/287566/E-79713/09(150) 2019/XXVII(1)/2025,दिनांक–31 मार्च 2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चाय विकास बोर्ड हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–29 की योजना "0602–राज्य में चाय विकास योजना" में प्राविधानित कुल रूपये **1883(रूपये अठ्ठारह करोड़ तिरासी लाख मात्र)** की धनराशि वेब आधारित प्रणाली के माध्यम से संलग्न विवरणानुसार व्यय हेतु आपके निर्वतन में रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1– धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है एवं धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा। साथ ही किसी भी प्रकार से मद परिवर्तन का अधिकार नहीं होगा।

2– व्यय करते समय वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या– I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025, दिनांक–31 मार्च 2025 में दिये गये दिशा–निर्देशों तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3– किसी भी शासकीय व्यय हेतु "प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2017"(यथासंशोधित) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5, भाग–1 (लेखा नियम), आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4— व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5— बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जायेगा और न ही अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि व्यय की जायेगी एवं न ही अधिक व्यय भार सृजित किया जायेगा।

6— उक्त मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा। प्रत्येक दशा में व प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट कार्य योजना बना ली जायेगी और तद्नुसार मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जायेगी।

7— योजनावार स्वीकृत धनराशि का व्यय सम्बन्धित योजना के संगत दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही की जायेगी। किसी भी दशा में संगत दिशा–निर्देशों से इतर कार्यवाही नही की जायेगी।

8— स्वीकृत की जा रही धनराशि निदेशक चाय विकास बोर्ड को उनकी मांग के आधार पर यथा प्रकिया उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

9— इस सम्बन्ध मे होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म, 119–बागवानी एवं सब्जियों की फसलें, 0602–राज्य में चाय विकास योजना की सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

10— यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश–I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025, दिनांक–31 मार्च 2025 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक–यथोपरि।</u>

भवदीय,

Digitally signed by Mahima
Date: 23-04-2025 11:05:19

(महिमा सकलानी)
संयुक्त सचिव

<u>संख्या–274(1)/XIII-4/24/07(01)/2020,E-26418</u> तददिनांक ।

<u>प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–</u>

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़ देहरादून।
2. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23–लक्ष्मी रोड़ डालनवाला देहरादून।
3. निदेशक, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड अल्मोड़ा।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी रानीखेत/अल्मोड़ा।
5. वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।

(137)

6. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
7. गार्ड फाईल।

Digitally signed by
Devendra Singh
Date: 22-04-2025
12:51:57
(देवेन्द्र सिंह चौहान)
उप सचिव

शासनादेश संख्याः 274/XIII-4/25/07(01)/2020 E-26418 दिनांक 22 अप्रैल 2025 का

संलग्नक

(धनराशि रूपये लाख में)

अनुदान संख्या–29 2401–फसल कृषि कर्म. 119–बागवानी एवं सब्जियों की फसलें. 0602–राज्य में चाय विकास योजना	वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्राविधानित	अवमुक्त धनराशि
05–वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान	348	348
08–पारिश्रमिक	35	35
56–सहायक अनुदान(सामान्य गैर वेतन)	1500	1500
योग	1883	1883

(रूपये अठ्ठारह करोड़ तिरासी लाख मात्र)

(देवेन्द्र सिंह चौहान)
उप सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2025 - 2026)

Secretary-Secretary, Sericulture(S044)

HOD-Director Horticulture(2108)

आवंटन पत्र संख्या -E-26418
अनुदान संख्या -029

आवंटन आई डी-S25040290008
आवंटन पत्र दिनांक-22-APR-2025

लेखा शीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म
119-वनस्पति या फसलें
02-राज्य में चाय विकास योजना

00--
06-चाय विकास योजना
Voted

2	4	0	1	0	0	1	1	9	0	6	0	2

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
05-वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान	0	34800000	0	34800000
08-पारिश्रमिक	0	3500000	0	3500000
56-सहायक अनुदान (समान्य गैर वेतन)	0	150000000	0	150000000
योग	0	188300000	0	188300000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.18,83,00,000 (Rupees Eighteen Crores Eighty Three Lacs Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

(165)

संख्या–377/XIII-4/25/7(05)/2020,E-37786

प्रेषक,

महिमा रौंकली,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण,
उद्यान भवन चौबटिया–रानीखेत।

कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग:–4 देहरादूनः दिनांकः 26 मई, 2025

विषयः–"चाय विकास योजना" हेतु आय–व्ययक में प्रावधानित धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, चाय विकास बोर्ड के पत्र संख्या 30/3–लेखा/बजट/2025–26 दिनांकः 08 अप्रैल 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तदक्रम में वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII (1)/2025, दिनांक–31 मार्च 2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चाय विकास बोर्ड हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक, अनुदान संख्या–30 की योजना "0203–चाय विकास परियोजना" की मानक मद 56–सहायक अनुदान(सामान्य गैर वेतन) में प्रावधानित कुल रूपये 400 लाख(रूपये चार करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निर्वतन में रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1)– धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है एवं धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकतानुसार मितव्ययता के साथ किया जायेगा। साथ ही किसी भी प्रकार से मद परिवर्तन का अधिकार नहीं होगा।

(2)– व्यय करते समय वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025, दिनांक–31 मार्च 2025 में दिये गये दिशा–निर्देशों तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(3)– किसी भी शासकीय व्यय हेतु "प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2017" वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5, भाग–1 (लेखा नियम) आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4)– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(5)– बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि व्यय की जायेगी एवं न ही अधिक व्यय भार सृजित किया जायेगा।

(6)– योजनावार स्वीकृत धनराशि का व्यय सम्बन्धित योजना के संगत दिशा–निर्देशों के

अनुरूप ही की जायेगी। किसी भी दशा में संगत दिशा–निर्देशों से इतर कार्यवाही नहीं की जायेगी।

(7)– स्वीकृत की जा रही धनराशि निदेशक, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड को उनकी माँग के आधार पर यथा प्रकिया अविलम्ब उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(8)– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान संख्या–30(एस.सी.एस.पी.)के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2401–फसल कृषि कर्म, 119–बागवानी एवं सब्जियों की फसलें, 02–अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान, 0203–चाय विकास परियोजना की मानक मद 56–सहायक अनुदान(सामान्य गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

(9)– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेशः I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025, दिनांक–31 मार्च 2025 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,
Digitally signed by Mahima
Date: 26-05-2025 10:26:52
(महिमा सैकली)
संयुक्त सचिव

संख्या–377(1)/XIII-4/25/ 07 (05)/2020 E-37786 तददिनांक ।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़ देहरादून
2–जिलाधिकारी, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।
3–निदेशक, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड अल्मोड़ा।
4–वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/रानीखेत, उत्तराखण्ड।
5–बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय/राज्य योजना आयोग उत्तराखण्ड।
6–बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
7–वित्त अनुभाग–4,/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8–गार्ड फाईल।

Digitally signed by Bikram Singh
Date: 26-05-2025 13:17:14

आज्ञा से,

(विक्रम सिंह चौहान)
अनु सचिव

(167)

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2025 - 2026)

Secretary-Secretary, Sericulture(S044)

HOD-Director Horticulture(2108)

आवंटन आई डी-S25050300019

आवंटन पत्र संख्या -E 37786

आवंटन पत्र दिनांक-26-MAY-2025

अनुदान संख्या -030

लेखा शीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म
119-वनस्पति या फसलें
03-चाय विकास परियोजना

00--
02-अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान

Voted

2	4	0	1	0	0	1	1	9	0	2	0	3

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
56-सहायक अनुदान (समान्य गैर वेतन)	0	40000000	0	40000000
योग	0	40000000	0	40000000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.4,00,00,000 (Rupees Four Crores Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–6
संख्या– 356405 / ई0–55177 / 2025
देहरादूनः दिनॉकः 26दिसम्बर, 2025

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड वित्त सेवा संवर्ग के अंतर्गत कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–04 में अंकित विवरणानुसार एतद्द्वारा स्तम्भ–05 के अनुसार अतिरिक्त प्रभार आवंटित किया जाता हैः–

क. सं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान प्रभार	दिया जा रहा प्रभार	नवीन तैनाती
01	02	03	04	05
1.	श्री अमित कुमार त्रिपाठी	मूल प्रभार–वित्त अधिकारी, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा। अतिरिक्त प्रभार–वित्त अधिकारी, राजकीय मेडिकल कॉलेज, अल्मोड़ा।	वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड, अल्मोड़ा।	मूल प्रभार–वित्त अधिकारी, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा। अतिरिक्त प्रभार–वित्त अधिकारी, राजकीय मेडिकल कॉलेज, अल्मोड़ा एवं वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड, अल्मोड़ा।
2.	श्री अजय कुमार	मूल प्रभार–वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार। अतिरिक्त प्रभार–वरिष्ठ वित्त अधिकारी, नगर निगम हरिद्वार।	मुख्य नगर, लेखा परीक्षक, हरिद्वार।	मूल प्रभार–वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार। अतिरिक्त प्रभार–वरिष्ठ वित्त अधिकारी, नगर निगम, हरिद्वार एवं मुख्य नगर, लेखा परीक्षक, हरिद्वार।

2 – उपरोक्त अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त आदेश का तत्काल अनुपालन करना सुनिश्चित करें। उक्त अतिरिक्त प्रभार हेतु पृथक से कोई वेतन भत्ता आदि देय नहीं होगा।

Digitally signed by Himanshu Kurana
Date: 26-12-2025 14:29:54

(हिमांशु कुराना)
अपर सचिव।

संख्या एवं तिथि तदैव।
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार (ऑडिट) एवं लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, कौलागढ रोड, देहरादून।
4. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. संबंधित विभागाध्यक्ष।
6. संबंधित जिलाधिकारी।
7. संबंधित अधिकारीगण।
8. गार्ड फाईल।